



प्रेस नोट 01- दिनांक 30.06.2024
थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव ।

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी एवं क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 07.01.2023 को थाना बांगरमऊ पर मु0अ0स0 07/2023 धारा 363/366/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 IPC व 5(J)(II)/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। आज दिनांक 30.06.2024 को थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शहाबुद्दीन पुत्र बफाती निवासी ग्राम दरियापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष को कल्याणी नदी पुल से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 1. शहाबुद्दीन पुत्र बफाती निवासी ग्राम दरियापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार
2. का0 मनीष कुमार
3. का0 हरेन्द्र कुमार
4. म0का0 सोनिया





प्रेस नोट 02- दिनांक 30.06.2024
थाना माखी, जनपद उन्नाव ।

युवती की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी एवं क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना माखी पुलिस द्वारा युवती की हत्या करने वाले अभियुक्त को आलाकत्ल एक अदद चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28.06.2024 को मोहिनी पुत्री सरदार यादव उम्र करीब 22 वर्ष निवासिनी ग्राम अमलोना थाना माखी जनपद उन्नाव का शव घर के परिसर में शौचालय के पीछे मिला था। जिसके संदर्भ में वादी श्री अजय कुमार पुत्र सरदार यादव निवासी ग्राम अमलोना थाना माखी जिला उन्नाव की दी गयी तहरीर के आधार पर थाना माखी पर मु0अ0सं0 190/2024 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में वादी मुकदमा व परिजनों से पूछताछ से घटना कारित करने में वादी मुकदमा अजय के साले अभियुक्त सुनील पुत्र रामलखन नि० ग्राम बाबूखेडा मजरा घुरवाखेडा थाना अचलंगज उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। जिसके क्रम में अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त की दि० 29.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर लोहचा मोड़ तिराहे उन्नाव रायबरेली हाईवे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि मेरी बड़ी बहन की शादी अजय पुत्र सरदार यादव नि० ग्राम अमलेना थाना माखी उन्नाव के साथ हुई है मृतिका मोहिनी मेरी बड़ी बहन की छोटी ननद है। मोहिनी से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतिका मोहिनी मुझ पर शादी करने का दबाव बना रही थी चूंकि मेरी शादी हो चुकी थी और मोहिनी मेरे पारिवारिक जीवन में दखल दे रही थी जिससे मैंने अपना पीछा छुड़ाने के लिये मृतिका मोहिनी का गला रेतकर हत्या कर दी और आलाकत्ल चाकू को छिपाकर भाग गया। अभियुक्त सुनील की निशादेही पर आज दि० 30.06.2024 को आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 1. सुनील पुत्र रामलखन नि0 ग्राम बाबूखेडा मजरा घुरवाखेडा थाना अचलंगज उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी- एक अदद चाकू हत्या में प्रयुक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष संदीप कुमार मिश्रा
2. उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र
3. हे0का0 संजय कुमार
4. हे0का0 मिथलेश यादव
5. का0 राहुल कुमार





प्रेस नोट 03- दिनांक 30.06.2024
थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव ।

वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी एवं क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 30.06.2024 को उ०नि० श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा वारंटी अभियुक्त जमुना प्रसाद पुत्र स्व० शिवराज सिंह निवासी ग्राम चकपीर नगर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 53 वर्ष सम्बन्धित वाद सं० 230/20 ,अ०स० 690/18 तथा सम्बन्धित धारा 135 ईसी एक्ट को थाना क्षेत्र के चकपीर नगर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 1. जमुना प्रसाद पुत्र स्व० शिवराज सिंह निवासी ग्राम चकपीर नगर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 53 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ०नि० वीरेन्द्र विक्रम सिंह
2. का० कमल सैनी
3. का० महेन्द्र कुमार

